भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



अमाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]

दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2017/वैशाख 1, 1939

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 29

No. 158]

DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2017/VAISAKHA 1, 1939

[N.C.T.D. No. 29

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग

दिल्ली. 21 अप्रैल. 2017

सं.फा. 4(248)/ओएसडी—1/विधि0/सचि0/2017/1288.—जबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तीन नगर निगमों के आम चुनाव कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोग की दिनांक 22 मार्च, 2017 की समसंख्यक अधिसुचना द्वारा पार्षदों को चुनने के लिये दिल्ली की तीन नगर निगमों के समस्त वार्डों को कहा गया।

और जबिक, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी वार्डों, जिनमें वार्ड संख्या—16—एन सराय पीपलथला भी सम्मिलित है, के चुनाव के लिये नामांकन भरने की अविध 27 मार्च, 2017 से 03 अप्रैल, 2017 तक निश्चित की गई थी और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची दिनांक 17.04.2017 को प्रकाशित की गई थी ।

और जबिक, श्री दिनेश को भारत के निर्वाचन आयोग की राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड संख्या 16—एन के लिये एक उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया था और दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 15 के प्रावधानों के अधीन इस आयोग द्वारा उसी रूप में अंगीकार किया गया।

और जबिक, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड—16—एन के रिटर्निंग अधिकारी ने अपने दिनांक 21 अप्रैल, 2017 के पत्र संख्या फा0 आर. ओ—05/एनडीएमसी/2017/241 दिनांक 21.04.2017. द्वारा सूचित किया कि उक्त श्री दिनेश, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड 16—एन से एक चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी, श्री दिनेश का दिनांक 20.04.2017 को निधन हो गया है।

अब, इसलिए, दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव), नियमावली, 2012 के नियम 32 के प्रावधानों के अनुसरण में आयोग उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड संख्या 16—एन के लिये मतदान स्थगित करता है, जिसे पहले 23.4.2017 को निश्चित किया गया था और नये मतदान के आदेश नीचे दिये गये कार्यक्रम के अनुसार होंगे:—

1. नामांकनों का भरना

24.04.2017 (सोमवार) से 01.05.2017 (सोमवार)

2. नामांकनों की जांच

03.05.2017 (बुधवार)

2692 DG/2017

(1)

3. नाम वापिस लेने की अन्तिम तिथि 06.05.2017 (शनिवार) को अपराह्न 3.00 बजे तक

मतदान की तिथि, यदि आवश्यक हो 21.05.2017 (रिववार)
मतों की गिनती 23.05.2017 (मंगलवार)
चुनाव का समापन 31.05.2017 (बुधवार)

जिन उम्मीदवारों ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के उक्त वार्ड संख्या 16—एन के लिये पहले अपने नामांकन भर दिये हैं उन्हें नये नामांकन भरने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी (एक राज्य मान्यताप्राप्त पार्टी) यथा उल्लिखित नामांकनों की अवधि के दौरान उक्त वार्ड16—एन के लिये नये उम्मीदवार का नामांकन भर सकती है। उपबंध है कि कोई व्यक्ति जिसने मतदान स्थिगित होने से पूर्व उपरोक्त नियमावली के नियम 23 के अन्तर्गत अपने नाम वापस लेने का नोटिस दिया है तो वह ऐसे स्थगन के पश्चात चुनाव के लिये उम्मीदवार के रूप में पुनः नामित होने का पात्र होगा।

एस.के. श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

STATE ELECTION COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 21stApril, 2017

No.F.4 (248)/OSD.I/Legal/SEC/2017/ 1288.— Whereas for the purpose of holding general elections to the three Municipal Corporations of National Capital Territory of Delhi, the State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi, has called upon all the wards of three Municipal Corporations of Delhi to elect Councillors vide Commission's Notification of even number dated the 22nd March, 2017,

And whereas the list of contesting candidates for all wards of North Delhi Municipal Corporations including Ward 16-N Sarai Peepal Thala was published on 17.04.2017 in Delhi.

And whereas Sh. Dinesh was a contesting candidate for Ward No.16-N of North Delhi Municipal Corporation sponsored by the SAMAJWADI PARTY, recognized as a STATE PARTY of Election Commission of India and adopted as such by this Commission under the provisions of Rule 15 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 and the SYMBOL ORDER issued thereunder.

And whereas the Returning Officer of Ward 16-N of North Delhi Municipal Corporation has vide his letter No. RO-05/NDMC/2017/241 dated the 21.04.2017 informed that the said Sh. Dinesh, a contesting candidate from ward 16-N of NDMC, has expired on 20.04.2017.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Rule 32 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012, the Commission hereby adjourns the poll for Ward No.16-N of North Delhi Municipal Corporation as was fixed earlier to be held on 23.4.2017 and orders for a fresh poll as per programme given below:-

1. Filing of nominations 24.04.2017(Monday) to 01.05.17 (Monday)

2. Scrutiny of nominations on 03.05.2017 (Wednesday)

3. Last date for withdrawal by 3.00 P.M. on 06.05.2017 (Saturday)

of candidatures.

Date of poll, if necessary
Counting of votes
Completion of election
21.5.2017 (Sunday)
23.5.2017 ((Tuesday)
31.5.2017 (Wednesday)

The candidates who have filed their nominations earlier for above said Ward No.16-N (Sarai Peepal Thala) of NDMC need not file fresh nominations. The Samajwadi Party (a State recognized party) may file nominations of a fresh candidate to the said Ward 16-N Sarai Peepal Thala during the period of nominations as aforesaid. Provided that no person who has given a notice of withdrawal of his candidature under rule 23 of the aforesaid rules before the adjournment of the poll, shall be ineligible for being nominated as a candidate for the election after such adjournment.

S.K. SHRIVASTAVA, State Election Commissioner